

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज  <u>राजप्रसाद वर्मा</u> बनाम <u>देवी बिरांध</u>  मुं.- 212/21                      किस्म - <u>झावा</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--

6-2-25 पत्रावली पेश हुई। पीछसीन अधिकारी अन्य शास्य कार्य में व्यस्त होने से व्यापिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रकटित दिनांक 6-3-25 को पेश हो गई।

6.3.25 पत्रावली पेश हुई। बहोल वादी उपस्थित। वादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। वादी बहोल के सिद्धांत डीजली है कि साक्ष्य क्षमिवाक रूप से पेश हो। पत्रावली वाले साक्ष्य वादी दिनांक 4/4/25 को पेश हो गई।  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

4/4/25 पत्रावली के कार्याचारी शास्यिक प्रवक्ता पद होने के कारण - व्यापिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रकटित दिनांक 6/5/25 को पेश हो गई।  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

6/5/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षधारण को धार-2 आपाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से साक्ष्य वाद में लॉपित है। वादी को धार-2 निर्देशों के अन्तर्गत भी वादी द्वारा लम्बे समय से साक्ष्य पेश नहीं किये जा रहे हैं। एवं निर्देशों को अचलना भी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पक्षधारण पत्रावली में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पक्षधारण को अदम हाथी व अदम पैरों में कारिज की जाती है। पत्रावली कैसल सुभाह होकर प्रकटित इच्छा है।  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)